

# कार्यालय, नगर परिषद, औरंगाबाद।

पत्रांक.....667 / दिनांक.....22.5.2018

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद औरंगाबाद।

सेवा में,

✓ वरीय लेखा अधिकारी,  
श्री० स्था० नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1,  
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,  
कार्यालय महालेखाकार (ले०प०)  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-01.

विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:- नगर परिषद औरंगाबाद के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-243/16-17  
के अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय नगर परिषद औरंगाबाद के अंकेक्षण प्रतिवेदन  
सं०-243/16-17 के अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित  
किया जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाए।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद औरंगाबाद

# पञ्जाब ओवर चिफ, औरंगाबाद

नगर परिषद औरंगाबाद के वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लेखा परीक्षा सं०- 243 / 2016-17 का अनुपालन प्रतिवेदन

कंडिका सं०	लेखा परीक्षा आपत्ति का बिन्दु	अनुपालन प्रतिवेदन	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.
I.1	प्रस्तावना	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
II.1.	होलिडिंग रसीद की राशि मो०- 359,777.00 रु०का कैशियर कैश बुक में नहीं पाया जाना	संबंधितों को नोटिस निर्गत कर दिया गया है। अनुलग्नक- I दृश्य	
II.2.	सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था आउटसोर्स किये जाने के बावजूद सफाई उपकरण की खरीद पर भरी व्यय रु०- 70.93 लाख	तद्सम्बन्धी प्राप्त आवंटन से सफाई उपकरण की खरीद निविदा निकालाकर की गई है। इन उपकरणों को आउटसोर्सिंग एजेंसी किराये पर लेकर कार्य कराती है। सफाई उपकरणों के क्रय हेतु बोर्ड की सामान्य बैठक दिनांक- 25.7.2015 से स्वीकृति प्राप्त है। ज्ञातव्य हो कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग व्यवस्था से सफाई चल रही है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि भविष्य में यही व्यवस्था लागू हो, तब नगर परिषद को इन उपकरणों की नितान्त आवश्यकता पड़ेगी। अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
II.3.	प्रावधान के विपरीत एकल निविदा के आधार पर ट्रेक्टर क्रय रु०- 23.85 लाख	दैनिक समाचार पत्रों में सफाई उपकरणों सहित अन्य कई उपकरणों का क्रय हेतु खुला निविदा प्रकाशित किया गया था, जिसमें कुल- 16 निविदादाता भाग लिए। परन्तु ट्रेक्टर हेतु केवल एक निविदाकार तकनीकी रूप से वैध पाया गया। तत्पश्चात इसे एक स्टेज ऊपर सशक्त स्थायी समिति की बैठक दि०- 22.2.2016 में इसे रखकर अनुमोदन प्राप्त किया गया है। फलस्वरूप इसके क्रय में अनियमितता नहीं बरती गयी है। ट्रेक्टर अधिकृत एजेंसी से क्रय किया गया है जिसका सर्विस सेंटर समय समय पर मेन्टेनेंस का कार्य करती है। फलतः इनके विपत्र से जमानत की कटौती नहीं हुई। अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
II.4.	मोबाईल टावर कंपनी के पास रु०- 16.80 लाख का बकाया	नगर परिषद में कर्मचारियों की भारी कमी है। फिर भी समय-समय पर बकाया जमा करने हेतु मोबाईल कंपनियों को नोटिस दिया गया है। वसूली हेतु प्रयास किया जा रहा है। फलतः वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु० 2.90 लाख तथा 2017-18 में रु० 2.40 लाख की वसूली की गई है। अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	

II.5.	सैरात बंदोबस्ती (राजस्व हानि)	डाकधारी से मुद्रांक शुल्क मो०- 90,975.00 रु० की वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। अनुलग्नक- II A B द्रष्टव्य																		
II.6.	सफाई व्यवस्था हेतु एजेंसी के चयन में अनियमितता, अधिक भुगतान रु०- 6.75 लाख	<p>सफाई व्यवस्था हेतु आमंत्रित निविदा में स्टारवै इंटरनेशनल फाउन्डेशन द्वारा कार्य योजना के स्थान पर केवल "नगर परिषद के आदेशानुसार सफाई करूंगा" अंकित था। इसके अतिरिक्त कार्य करने हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसे निविदा शर्त के प्रतिकूल निविदा समिति ने पाया और सशक्त स्थायी समिति ने उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर के अन्य निविदादाता जिनका कार्य योजना निविदा के अनुकूल था, के साथ निगोशियेशन करके कार्य कराया गया। इस प्रकार इस प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई है।</p> <p>एकरारनामा अवधि पूर्ण होने के पश्चात ससमय निविदा प्रक्रिया आरम्भ नहीं होने के कारण कार्यहित में सफाई उपसमिति की अनुशंसा और मुख्य पार्षद के निदेश पर दिसंबर 2014 के बाद से अवधि विस्तार किया गया था। ताकि शहर का सफाई कार्य प्रभावित नहीं हो और नगर परिषद पर अत्यधिक वित्तीय भार भी न बड़े।</p> <p>अतः उपर्युक्त के आलोक में इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।</p>																		
II.7.	विद्युत विपन्न का नियमित भुगतान नहीं किये जाने के कारण अतिरिक्त दायित्व का सृजन	<p>तत्कालीन जिला पदाधिकारी के निदेश एवं माननीय मुख्यमंत्री सेवा यात्रा को देखते हुए समाहरणालय, सर्किट हाउस एवं नगर थाना परिसर में विद्युत कनेक्शन लिया गया था। विद्युत विपन्न में बकाया होल्डिंग टैक्स का समायोजन करते हुए विद्युत विभाग के स्थानीय एवं राज्यस्तरीय पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है, परन्तु अबतक इसका समायोजन नहीं हो सका है। निरंतर प्रयास जारी है।</p> <p>आवंटन की अनुपलब्धता के कारण प्रारम्भ से अबतक ससमय विद्युत विपन्न भुगतान नहीं किया जा सका है।</p> <p>अतः उपर्युक्त के आलोक में इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।</p>																		
II.8.	नहीं जमा / कम जमा राशि 5.58 लाख	<p>सम्पूर्ण राशि नीचे अंकित विवरणी अनुसार नगर परिषद निधि में जमा करा दिया गया है :-</p> <table border="1" data-bbox="1053 1478 1532 2150"> <thead> <tr> <th>राशि</th> <th>जमा करने की तिथि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75,000.00</td> <td>Bill No. 12 / 2014-15</td> </tr> <tr> <td>7,479.00</td> <td>26.4.2014</td> </tr> <tr> <td>3,208.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24,192.00</td> <td>04.7.2015</td> </tr> <tr> <td>25,363.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7,082.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9,150.00</td> <td>28.9.2016</td> </tr> <tr> <td>37,892.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	राशि	जमा करने की तिथि	75,000.00	Bill No. 12 / 2014-15	7,479.00	26.4.2014	3,208.00		24,192.00	04.7.2015	25,363.00		7,082.00		9,150.00	28.9.2016	37,892.00	
राशि	जमा करने की तिथि																			
75,000.00	Bill No. 12 / 2014-15																			
7,479.00	26.4.2014																			
3,208.00																				
24,192.00	04.7.2015																			
25,363.00																				
7,082.00																				
9,150.00	28.9.2016																			
37,892.00																				

39,824.00	22.11.2016
21,307.00	
22,899.00	
32,755.00	31.12.2016
14,572.00	
10,398.00	
12,472.00	16.1.2017
19,456.00	
3,67,626.00	Bill No. 40 / 09.12.2015
70,510.00	18.1.2017
21,442.00	
19,521.00	05.4.2016
18,580.00	
8,127.00	By Cheque Deposit
19,624.00	By Cheque Deposit

कर्मचारियों की कमी के कारण बकाया किराया वसूली प्रभावित हो रहा है। वसूली हेतु समय - समय पर व्यक्तिगत सम्पर्क एवं नोटिस भी निर्गत किया जाता है। सभी संभव प्रयास किया जा रहा है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

लैपटॉप का अधिकृत विक्रय सेन्टर इस शहर में नहीं है। फलतः सर्वप्रथम कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपने व्यवहार के लिए पटना स्थित शोरूम से एक अदद लैपटॉप का क्रय किया गया। तत्पश्चात उसी शोरूम से मुख्य पार्श्व एवं उप मुख्य पार्श्व के लिए लैपटॉप क्रय किया गया। कोई भी क्रय वित्तीय नियमावली के अनुरूप हुआ है। इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

स्थल निरीक्षण के उपरान्त योजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया जाता है। इस कारण प्राक्कलन, एम.बी. और भाउचर्स में दर्ज सामग्री की मात्रा लगभग एक समान पाई जाती है। यह सही नहीं है कि मापी पुस्त, प्राक्कलन कि कॉपी है।

योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय स्तर पर होने के कारण स्थानीय ट्रक/ट्रैक्टर से निर्माण सामग्री का क्रय अभिकर्ता के द्वारा कि जाती है न कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी से। फलतः अभिकर्ता द्वारा सादा कागज पर टिकट लगाकर दी गयी राशि कि पावती ली जाती है जिसे वे अभिश्रव के रूप में संलग्न करते हैं।

योजना में जिस स्थान पर साईड में दीवार आदि रहता है वहाँ एज

II.9.

बकाया दुकान किराया

II.10.

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी हेतु लैपटॉप क्रय में अनियमितता

II.11.

योजनाओं में अनियमित भुगतान

39,824.00	22.11.2016
21,307.00	
22,899.00	
32,755.00	31.12.2016
14,572.00	
10,398.00	16.1.2017
12,472.00	
19,456.00	
3,67,626.00	Bill No. 40 / 09.12.2015
70,510.00	18.1.2017
21,442.00	
19,521.00	05.4.2016
18,580.00	
8,127.00	By Cheque Deposit
19,624.00	By Cheque Deposit

कर्मचारियों की कमी के कारण बकाया किराया वसूली प्रभावित हो रहा है। वसूली हेतु समय - समय पर व्यक्तिगत सम्पर्क एवं नोटिस भी निर्गत किया जाता है। सभी संभव प्रयास किया जा रहा है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

लैपटॉप का अधिकृत विक्रय सेन्टर इस शहर में नहीं है। फलतः सर्वप्रथम कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपने व्यवहार के लिए पटना स्थित शोरूम से एक अदद लैपटॉप का क्रय किया गया। तत्पश्चात उसी शोरूम से मुख्य पार्श्व एवं उप मुख्य पार्श्व के लिए लैपटॉप क्रय किया गया। कोई भी क्रय वित्तीय नियमावली के अनुरूप हुआ है। इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। अतः उपर्युक्त के आलोक में इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

स्थल निरीक्षण के उपरान्त योजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया जाता है। इस कारण प्राक्कलन, एम.बी. और भाउचर्स में दर्ज सामग्री की मात्रा लगभग एक समान पाई जाती है। यह सही नहीं है कि मापी पुस्त, प्राक्कलन कि कॉपी है।

योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय स्तर पर होने के कारण स्थानीय ट्रक/ट्रैक्टर से निर्माण सामग्री का क्रय अभिकर्ता के द्वारा कि जाती है न कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी से। फलतः अभिकर्ता द्वारा सादा कागज पर टिकट लगाकर दी गयी राशि कि पावती ली जाती है जिसे वे अभिश्रव के रूप में संलग्न करते हैं।

योजना में जिस स्थान पर साईड में दीवार आदि रहता है वहाँ एज

II.9.

बकाया दुकान किराया

II.10.


अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी हेतु लैपटॉप क्रय में अनियमितता

II.11.

योजनाओं में अनियमित भुगतान

		है। जाए।	अतः उपर्युक्त के आलोक में आपत्ति कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाए।
II.12.	योजनाओं की स्थिति		कंडिका में जवाब के अनुरूप कार्रवाई करने का निदेश है। जिसका अनुपालन किया जा रहा है। अतएव इस आपत्ति कंडिका के विलोपित करने की कृपा की जाए।
II.13.	दैनिक/अतिरिक्त पारिश्रमिक भुगतान		<p>आपत्ति में अंकित राशि में से मो0-312120.00रू0 का भुगतान संविदा पर कार्यरत कार्यपालक सहायक के पारिश्रमिक पर तथा मो0-529723.00 रू0 पारिश्रमिक का भुगतान दैनिक पारिश्रमिक (मस्टर रॉल) पर कार्यरत JCB ऑपरेटर बिजली मिस्त्री और हेल्पर को किया गया है।</p> <p>ज्ञातव्य हो कि नगर परिषद में JCB उपलब्ध है परन्तु इसके चालक का कोई पद स्वीकृत नहीं है। इसी तरह बिजली मिस्त्री का भी पद स्वीकृत नहीं है परन्तु शहर में काफी संख्या में स्ट्रीट लाईट लगे हैं। विभाग द्वारा संविदा पर नियुक्ति करने पर मनाही है परन्तु कार्यरत एवं जनहित में इनकी आवश्यकता को देखते हुए मस्टर रॉल/दैनिक पारिश्रमिक पर रखकर कार्य कराना नितान्त आवश्यक है।</p> <p>अतः उपर्युक्त के आलोक में आपत्ति कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाए।</p>
II.14.	भवन निर्माण अनुमति में श्रमिक शेष की वसूली नहीं		<p>बिहार भवन निर्माण उपविधि,2014 में तदसंबंधी प्रावधान नहीं होने के कारण पूर्व में भवन निर्माण की अनुमति में श्रमिक शेष की वसूली नहीं की जाती थी।</p> <p>अंकेक्षण दल द्वारा उस बिन्दु पर ध्यानाकृष्ट कराने के पश्चात् अब 10लाख से उपर के प्राक्कलित राशि वाले भवन के आवेदकों से @1%श्रमिक सेस की वसूली कर उसे संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जा रहा है (अनुलनक- III द्रष्टव्य )</p> <p>अतः उपर्युक्त के आलोक में आपत्ति कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाए।</p>
II.15.	विविध प्राप्ति रसीद से वसूली गयी राशि का कम जमा/नही जमा पाया जाना (रू0 59,166)		<p>अंकेक्षण आपत्ति में अंकित राशि नगर परिषद निधि में जमा करा दिया गया है।</p> <p>अतः उपर्युक्त के आलोक में आपत्ति कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाए।</p>

III.1.	स्वकर निर्धारण का सत्यापन नहीं	लेखा परीक्षा टिप्पणी स्वीकारात्मक है। इस दिशा में कार्रवाई उपलब्ध संसाधनों के द्वारा किया जा रहा है। अतएव इस आपत्ति कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाए।
III.2.	रोकड़बही संधारण में अनियमितता एवं अन्तर राशि रू0 5.17 लाख	रोकड़बही संधारण के दौरान लिपिकीय भूलवश गणना में गलतियाँ हुई थी, जिसे अंकेक्षण दल द्वारा सुधार दिया गया है। तदनुसार कार्रवाई की जा रही है। अतः इस आपत्ति कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाए।
III.3.	रोकड़बही एवं बैंक पासबुक के अन्तः शेष में अन्तर	बैंक द्वारा उद्भूत ब्याज की प्रविष्टि तत्समय रोकड़बही में अंकित नहीं रहने के कारण यह टिप्पणी दर्ज की गयी थी। इसका निराकरण करा दिया गया है और अब प्रत्येक वर्ष के अन्त में दोनों का मिलान भी किया जाता है। अतः इस आपत्ति कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाए।
III.4.	अनुदान विनियोग पंजी	अनुदान विनियोग पंजी पूर्व से इस निकाय में संधारित नहीं किया जाता रहा है। इसे तैयार कराया जा रहा है। जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा।
III.5.	बजट	वित्तीय वर्ष 2014-15 का बजट प्राक्कलन उपलब्ध हो गया है, जिसे अंकेक्षण दल के अवलोकनार्थ उपस्थापित कर दिया जाएगा। अतएव उक्त आपत्ति कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाए।
III.6.	कैशियर केश बुक में दर्ज राशि मी0-436401.00रू0 का रसीद नहीं पाया जाना	अंकेक्षण आपत्ति के निराकरण/अनुपालन करने हेतु तत्कालीन नाजीर एवं NGO को इस कार्यालय का ज्ञापांक-414 दिनांक-28.3.2018 एवं स्मार पत्र द्वारा संसूचित किया गया है (अनुलग्नक- I द्रष्टव्य)

  
 नगर कार्यपालक प्रदाधिकारी  
 नगर परिषद औरंगाबाद